

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/169/2024/ 65

दिनांक :- 27/3/24

आदेश

श्री अंकित कुमार झाझड़िया, वरिष्ठ सहायक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय महिलाबाग, जोधपुर को उनकी स्वयं की प्रार्थना एवं संबंधित अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 28.03.2024 से 10.04.2024 (14 दिवस) तक निजी यात्रा (दुबई) जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्युटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वेच्छिक सेवानिवृति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/169/2024/ 65

दिनांक : 27/3/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय महिलाबाग, जोधपुर।
3. श्री अंकित कुमार झाझड़िया, वरिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय का भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0जयपुर

RajKaj Ref
6303236

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date : 27-03-2024 03:45:55